सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 14, बुधवार, *शाके* 1947- जून 04, 2025
Jyaistha 14, Wednesday, Saka 1947- June 04, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2025

संख्या प.1(02)न्याय/2023 :- इस विभाग की अधिसूचना क्रमॉक प.1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान राज्य में दिनांक 05.08.2023 से नये जिलों के सृजन एवं पुनर्गठन के कारण, सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये सेशन खण्डों की संख्या **36** के स्थान पर **44** नियत करते हुए तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित सेशन खण्ड स्थापित कर निम्न प्रकार सेशन न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती हैः-

क्र.सं.	नवसृजित सेशन खण्ड	सेशन न्यायालय का नाम	प्रादेशिक सीमा (राजस्व जिला)
1	2	3	4
1	फलौदी	सेशन न्यायालय, फलौदी	फलौदी
2	डीडवाना-कुचामन	सेशन न्यायालय, डीडवाना	डीडवाना-कुचामन
3	खैरथल-तिजारा	सेशन न्यायालय, खैरथल	खैरथल-तिजारा
4	ब्यावर	सेशन न्यायालय, ब्यावर	ब्यावर
5	बाड़मेर	सेशन न्यायालय, बाड़मेर	बाड़मेर
6	डीग	सेशन न्यायालय, डीग	डीग
7	कोटपूतली-बहरोड	सेशन न्यायालय, कोटपूतली	कोटपूतली-बहरोड
8	सलूम्बर	सेशन न्यायालय, सलूम्बर	सलूम्बर

नोट-वर्तमान में सेशन खण्ड बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाडमेर से बदलकर बालोतरा किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव, विधि।

6213
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।